कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / छाप्रोप्र / एस.सी.(सी.एस.एस) / 2017–18 / दिनांक : 12.01.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक प्रथम–द्वितीय..........

विषय : केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा (9 से 10) हेतु जारी बजट से बकाया छात्रवृत्ति वर्ष 2013–14 से 2016–17 का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण प्रत्र दिनांक 10.01.2018 तक प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : शासन सचिव महोदय स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग के निर्देश दिनांक 05.01.2018 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 05.01.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक निर्देशों एवं पत्र के कम में लेख है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा (9 से 10) हेतु इस कार्यालय से दिनांकः 28.11.2017 व 19.12.2017 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को बजट जारी किया गया था। जिससे कि अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा (9 से 10) बकाया छात्रवृत्ति वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र श्रीमान शासन सचिव महोदय स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा (9 से 10) की पूर्ववती वर्षो की लम्बित छात्रवृत्ति का अविलम्ब भुगतान पे–मेनेजर (I.F.M.S) के माध्यम से पूर्व में प्रचलित पद्वति अनुसार विद्यार्थियों के बैंक खातों में करते हुए उपयोगिता प्रमाण प्रत्र इस कार्यालय के ई–मेल आई. डी. **deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in** पर दिनांक 10.01.2018 तक चाहा गया था जो आज दिनांक तक अपेक्षित है। अतः उक्त सूचना आज ही इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

यह अति संवेदनशील विषय होने के बावजूद भी आप द्वारा लापरवाही बरती जा रही है जिसे निदेशक महोदय ने गंभीरता से लिया है अतः आज ही उक्त सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पन्न न करने के कारणं आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शासन को प्रस्तावित कर दी जायेगी।

12.1.18
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर
4. समस्त मण्डल उपनिदेशक को प्रभावी प्रबोधन हेतु। कार्य तय समयावधि में सम्पन्न न करने वाले जिशिअ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव मय प्रपत्र–अ,ब,स,द दिनांक 11.01.2018 को आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

12.1.18
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ